

180



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
निगरानी- 3408/2018/टीकमगढ़/भू.र.  
प्रकरण क्रमांक / निग0 / टीकमगढ़ / भू0रा0 / 2018 /

~~निगरानी- 3408/टीकमगढ़/भू.र.~~  
~~रिजिस्ट्रार~~

अरुण कुमार पुत्र श्री उमेश यादव,  
प्रबंधक, ब्रू होटल एण्ड रिसोर्ट  
प्रा0लि0, निवासी - 288, खुशीपुरा,  
झॉसी (उ0प्र0)

श्री. अनिल रवि मिश्र  
द्वारा आज दि. 4-6-18 1  
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 8-6-18 नियत।

रजिस्ट्रार  
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-6-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

— निगरानीकर्ता

ब्लाम

1. मलखान पुत्र श्री कुंजीलाल राय
2. गजराज पुत्र श्री कुंजीलाल राय
3. पंचम पुत्र श्री कुंजीलाल राय  
निवासीगण- जिजौरा, तहसील  
औरछा, जिला टीकमगढ़ (उ0प्र0)  
— गैरनिगरानीकर्तागण

4. ~~मध्यप्रदेश सरकार~~

— ~~आव्यवहारिक~~ पक्षकारगण

2/10  
4/6/18

अनिल रवि मिश्र  
4/6/18 1

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 31.05.  
2018 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार पृथ्वीपुर,  
जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 08/अ-6(2)  
/2017-18 से असंतुष्ट होकर।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी 3408 / 2018 / टीकमगढ़ / भू0रा0

अरुण कुमार विरुद्ध मलखान आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र. 08/अ-6(2)/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31-5-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>32</p>	<p>(आर.के. जैन) 12/2/19 सदस्य</p>